

प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,  
उ०प्र०। (अयोध्या, वाराणसी, हापुड-  
पिलखुआ, आजमगढ़ एवं बरेली  
विकास प्राधिकरण को छोड़कर)

2. अध्यक्ष,

कपिलवस्तु-सिद्धार्थनगर विशेष  
क्षेत्र विकास प्राधिकरण,  
सिद्धार्थनगर, उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 24-दिसम्बर, 2021

विषय : उ०प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अभियंत्रण संवर्गों के पदों के पुनर्गठन के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासन के पत्र संख्या-618(1)/आठ-5-19-12विविध/18, दिनांक 07.08.2020, पत्र संख्या-760(1)/आठ-5-19-12विविध/18, दिनांक 21.09.2020, पत्र संख्या-969/आठ-5-19-12विविध/18, दिनांक 04.11.2020 एवं संख्या-655/आठ-5-19-12विविध/18, दिनांक 27.07.2021 द्वारा उ०प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अभियंत्रण संवर्गों के पदों के पुनर्गठन के संबंध में सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु वांछित आख्या अद्यतन अप्राप्त है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधोअंकित बिन्दुओं पर शासन को 01 सप्ताह में सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

(1) उ०प्र० विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत अधिकांश विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद् की कुल आय के सापेक्ष सकल व्यय में कैश-गैप ऋणात्मक है। क्या उक्त कैश-गैप समाप्त करने हेतु कोई योजना तैयार की गयी है? यदि हां, तो उसका विवरण भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(2) प्रस्तावित पदों के सृजन के फलस्वरूप आने वाले व्यय-भार वहन करने की सक्षमता की पुष्टि करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
  
24.12.2021  
(धर्मेन्द्र कुमार पाठक)  
अनु सचिव।